न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या – 53/2025
उनवान

1.अलाबक्श खान पुत्र मजना खान जाति मुसलमान. निवासी मुसलमानों की ढाणी भलीसर तहसील गुडामालाणी।	बनाम	1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

आदेश दिनांक 24.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अलाबक्श खान पुत्र मजना खान जाति **मुसलमान निवासी मुसलमानों की ढाणी** भलीसर तहसील गुडामालाणी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर खातेदारी खेत खसरा संख्या 312/93 रकबा 2.7923 हेक्टैयर मौजा खारची पटवार मण्डल बबुगुलेरिया में आया हुआ है।तहसील आॅनलाइन करते समय प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम एवं खसरा संख्या रकबा.हटा दिया गया है। वर्तमान जमाबन्दी में सिर्फ खसरा दर्शा रहा है जबकि जमाबन्दी के निचे समस्त कॉलम खाली दर्शित हो रहे जिसे दुरस्त कर प्रार्थी के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन तहसीलदार रामसर रिपोर्ट तथा पूर्व की जमाबन्दी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मोजा खारची पटवार मण्डल बबुगुलेरिया के खेत खसरा संख्या 312/93 रकबा 2.7923 हेक्टैयर में प्रार्थी का नाम अलाबक्श खान पुत्र मजना खान जाति मुसलमान निवासी मुसलमानों की ढाणी **भलीसर तहसील गुडामालाणी जमाबंदी में** दुरस्त करनें के आदेश पारित किये जाते हैं।

तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक **24.01.2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 24.01.2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 64-65
प्रतिलिपि :–

1.तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी अलाबक्श खान पुत्र मजना खान जाति मुसलमान निवासी मुसलमानों की ढाणी भलीसर तहसील गुडामालाणी।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.01.28 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested